भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3618

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/ 19 श्रावण, 1948 (शक)

श्रमिकों के लिए ईएसआईसी कवरेज और स्वास्थ्य सुविधाएं

†3618. श्री परिमल शुक्ला बैद्य:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कछार जिले सहित असम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत पंजीकृत कर्मचारियों और प्रतिष्ठानों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कछार जिले में चाय बागानों, लघु उद्योगों, बागानों, निर्माण और अन्य असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों को ईएसआईसी कवरेज प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बीमित कामगारों और उनके परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार लाने के लिए कछार जिले में ईएसआईसी अस्पतालों, औषधालयों और नैदानिक सुविधाओं की स्थापना या उन्नयन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कछार जिले में कामगारों विशेषकर ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले कामगारों के लिए जागरूकता, सामाजिक सुरक्षा लाभ, नकदी रहित उपचार, प्रसूति लाभ, विकलांगता सहायता और डिजिटल ईएसआईसी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): असम राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत पंजीकृत कर्मचारियों और स्थापनों का जिलेवार ब्यौरा संलग्नक में दिया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंधों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित कर दिया गया है, जो 21 नवम्बर, 2025 से प्रवृत्त हो चुकी है। संहिता की प्रथम अनुसूची के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से संबंधित अध्याय ।V प्रत्येक ऐसे संस्थान पर लागू होता है, जिसमें किसी मौसमी कारखाने से भिन्न दस या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों। आगे यह भी उपबंधित किया गया है कि किसी बागान का नियोक्ता, यदि अध्याय के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाने वाले लाभ उसके द्वारा वर्तमान में उपलब्ध कराए जा रहे लाभों से अधिक लाभकारी हों, तो वह निगम को अपनी सहमति प्रदान करके उस बागान के संबंध में अध्याय ।V को लागू किए जाने का विकल्प चुन सकता है।

जारी/2---

वर्तमान में, असंगठित कामगार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत कवर नहीं हैं। तथापि, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 45, केंद्र सरकार को असंगठित कामगारों, गिग कामगारों तथा प्लेटफॉर्म कामगारों तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभों का विस्तार करने के लिए एक योजना बनाने का अधिकार प्रदान करती है।

वर्तमान में, बीमित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कछार जिले के सिलचर में एक ईएसआई औषधालय संचालित है। वर्तमान में, उस जिले में किसी ईएसआई अस्पताल, औषधालय अथवा नैदानिक केंद्र की स्थापना करने या मौजूदा ईएसआई औषधालय के उन्नयन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ईएसआईसी द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन निःशक्तता सहायता सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कछार जिले में 103 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कछार जिले में 19,91,814 रुपये की नकद हितलाभ राशि संवितरित की गई, जिसमें से 8,57,948 रुपये प्रसूति हितलाभ के रूप में संवितरित किए गए। ईएसआईसी, बीमित व्यक्ति (आईपी) पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सेवाएं भी उपलब्ध कराता है, जिसे बीमित व्यक्ति किसी भी स्थान से उपयोग कर अपने नकद हितलाभ के दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है तथा ई-पहचान कार्ड में अपने विवरण में परिवर्तन कराने हेतु अनुरोध भी प्रस्तुत कर सकता है।

* *****

संलग्नक

"श्रमिकों के लिए ईएसआईसी कवरेज और स्वास्थ्य सुविधाएं" के संबंध में श्री परिमल शुक्ला बैद्य द्वारा दिनांक 10.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3618 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

असम राज्य में ईएसआईसी के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनों और कर्मचारियों की ज़िलेवार संख्या:

क्र. सं.	ज़िले का नाम	स्थापनों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1.	बक्सा	70	302
2.	बारपेटा	1,307	2,981
3.	बिश्वनाथ	46	288
4.	बोंगईगांव	1,210	8,017
5.	कछार	1,760	7,512
6.	चराइदेव	45	93
7.	चिरांग	249	1,262
8.	दरांग	721	3,712
9.	धेमाजी	241	625
10.	धुबरी	844	2009
11.	डिब्रूगढ़	2,224	12,754
12.	दीमा हसाओ	73	422
13.	गोलपाड़ा	459	2,787
14.	गोलाघाट	1,089	14,766
15.	हैलाकांडी	355	1,245
16.	होजाई	39	610
17.	जोरहाट	1,820	11,143
18.	कामरूप	4,085	38,056
19.	कामरूप महानगर	9,259	93,371
20.	कार्बी आंगलोंग	353	1,184
21.	करीमगंज	237	1,092
22.	कोकराझार	508	1,151
23.	लखीमपुर	641	1,511
24.	माजुली	5	13
25.	मारीगांव	264	858
26.	मोरीगांव	85	346
27.	नगांव	1,717	10,564
28.	नलबाड़ी	686	2,859
29.	शिबसागर	1,038	3,285
30.	सोनितपुर	1452	10,188
31.	दक्षिण सलमारा	3	41
32.	तिनसुकिया	5105	84,900
33.	उदलगुड़ी	377	644
34.	पश्चिम कार्बी आंगलोंग	7	39
कुल		**38,374**	**3,20,630**

(स्रोत: ईएसआईसी मु.)